न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील संख्या :–23/2017/भीलवाड़ा (2017/00025)

1. भंवरलाल पुत्र दौलतराम,
2. बंशीलाल पुत्र दौलतराम,
   जाति विश्नोई, निवासी नया समेलिया, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र सज्जनसिंह सिसोदिया, नि0 ए–15 हाऊसिंग बोर्ड शास्त्री नगर, भीलवाड़ा ।
2. पन्नालाल पुत्र डालू, जाति विश्नोई, नि0 नया समेलिया, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।
3. तुलसीराम पुत्र मोहन, जाति विश्नोई, नि0 नया समेलिया, तह0 व जिला, भीलवाड़ा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा दिनांक 30.5.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 2041/2015.

उपस्थितः–

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलांट्स ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अनुपस्थित ।
3. श्री बी0एस0शेखावत, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांक :– 16.01.2019

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.5.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माधोपुर, पटवार मण्डल मण्डफिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खसरा नंबर 185, 186/1 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि अवस्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी खातेदार है किन्तु पक्षकारान के मध्य प्रश्नगत आराजी की सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है इसलिये प्रार्थी अपने खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये । विपक्षीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों से इंकार किया । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने वर्तमान अपीलांट को सुनवाई का समचित अवसर प्रदान किये बगैर दिनांक 30.5.2016 को प्रकरण में निर्णय पारित कर रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनपुस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 पेश किये जाने पर अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के तथ्यों से इंकार किया था परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वर्ष 2000 से पूर्व खसरा संख्या 185 व 186 कुल रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि में सोहनलाल व रामलाल पिता काशीराम जाति जाट का मालिकाना हक था तथा वर्ष 2000 में ही सोहनलाल ने अपना हिस्सा खसरा नंबर 186/2 में से 2 बीघा 15 बिस्वा का बेचान पन्नालाल की पत्नि को कर दिया था तब उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के आदेश क्रमांक प्रकरण संख्या 45/95 दिनांक 30.5.1995 में वर्ष 2000 में राजस्व टीम ने पत्थरगढ़ी की एवं कब्जा विपक्षी संख्या 1 पन्नालाल को सौंप दिया था तथा पत्थरगढ़ी के बाद वहां पर पत्थर के चिन्ह भी लगा दिये थे तत्समय सभी पड़ौसी काश्तकार भी उपस्थित थे । इस प्रकार एक ही आराजी की बार–बार पत्थरगढ़ी करवाये जाने का कोई औचित्य नहीं है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि रामलाल ने भी

अपने हिस्से की आराजी खसरा संख्या 185 व 186/1 कुल रकबा 2 बीघा 15 स्विा भूमि का बेचान किया था तब भी प्रकरण संख्या 24/2010 दर्ज किया था जिसमें उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के आदेश की पालना में तहसीलदार, भीलवाड़ा ने अपने आदेश दिनांक 6.4.2010 के द्वारा राजस्व टीम द्वारा पुनः पत्थरगढ़ी की गई एवं सीमा चिन्ह लगाये गये थे तथा उन्हीं सीमा चिन्ह के अनुसार सभी काश्तकार काबिज है । इस प्रकार खसरा नंबर 185 व 186/1 की पत्थरगढ़ी वर्ष 2010 में क्रमशः प्रकरण संख्या 45/95 व 24/2010 के द्वारा की जा चुकी है परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा पुनः प्रश्नगत भूमियों बाबत् पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जाना न्यायोचित नहीं है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें आराजी खसरा संख्या 186/2 के पड़ौसी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है तथा पूर्व में की गई पत्थरगढ़ी की भी रेस्पो0 संख्या 1 को पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 ने पुनः पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका कोई औचित्य नहीं था । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त तथ्यों को अपने जवाब में प्रकट करते हुए पूर्व पत्थरगढी के आदेशों की प्रतियां पेश की थी जिन्हें अधी0न्याया0 ने नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 30.5.2016 निरस्त किया जावे । xx

4- अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.5.2016 की प्रार्थीगण/अपीलांटस को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि बरवक्त बबहस अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नहीं किया । अपीलाधीन आदेश की अपीलांटस को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.2.2017 को तब हुई जब प्रार्थीगण/अपीलांटस अपने अधिवक्ता के पास प्रकरण की जानकारी करने गये तो अभिभाषक ने अवगत कराया कि प्रकरण अपीलांटस के विरूद्ध निर्णित हुआ है । तत्पश्चात् अपीलांटस ने निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 10.3.2017 को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर अधिवक्ता से कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । xx

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दू पर गुणावगुण पर

किसी भी प्रकरण का अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है । हम न्यायहित में अपीलांट्स को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

6- प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 का पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 30.5.2016 को रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये है । दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन रहा है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया तथा यह भी कथन किया कि विवादित आराजियात के संबंध में पूर्व में अधी0न्याया0 द्वारा दो बार पत्थरगढ़ी की जाकर मौके पर सीमा चिन्ह अंकित किये गये है जिसके अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त चले आ रहे है । इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध मौका पर्चा पत्थरगढ़ी ग्राम माधोपर दिनांक 6.5.2015 को अवलोकन किया गया । उक्त मौका पर्चा के अवलोकन से स्पष्ट है कि भू–अभिलेख निरीक्षक, आटूण व पटवारी हल्का मण्डपिया ने भू–प्रबधं अधिकारी, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 7.4.2015 की पालना में भू–प्रबधं विभाग के ताराचंद कोली, निरीक्षक व शंरलाल रेगर, भू–मापक तथ तहसील कार्यालय से गिरदावर व पटवारी हल्का के साथ विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की गई है । इसी प्रकार एक अन्य मौका पर्चा रिपोर्ट बाबत् पत्थरगढ़ी के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.4.2014 को उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 126/2010 निर्णय दिनांक 15.6.2011 एवं तहसीलदार के पत्र क्रमांक 1963–64 दिनांक 10.4.2012 की पालना में दिनांक 29.4.2014 को विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की गई है । विद्वान वकील अपीलांट्स का यह भी कथन रहा है कि पूर्व में की गई पत्थरगढी की कार्यवाही के संबंध में अपीलांट्स द्वारा अधी0न्याया0 को अवगत कराया गया था परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज किया है । प्रकरण में जब विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में दो बार पत्थरगढ़ी हो चुकी है तथा पक्षकारान का पत्थरगढी के अनुसार मौके पर काबिज होना पाया जाता है तो पुनः पत्थरगढ़ी का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । चूंकि अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट्स को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना उचित समझते है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 30.5.2016 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

7- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 23/2017 (2017/00025) बउनवानी भंवरलाल बनाम ओमप्रकाश को आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 2041/2015 बउनवान ओमप्रकाश बनाम पन्नालाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.5.2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलांट्स को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रश्नगत भूमि के संबंध में पूर्व मे पारित हुए पत्थरगढ़ी के आदेशों के क्रम मे आवश्यक होने पर प्रकरण को पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

8- आदेश आज दिनांक 16.01.2019 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.01.17 13:26:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: